

07/06/22

पत्रावली केश हुई, प्रकीर्ण उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार
से खंडवाय रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त खंडवाय रिपोर्ट
में माका परचा एवं खलसम जमाखंडी धनुषाए प्रसंगत
क्षेत्रों का खंडान लेफ्टर भूमि वादीगण के नाम
नहीं रही है। बाद में परिचित भूमि वादीगण के नाम
नहीं होने से खंडवाय नहीं किया जा सकता है।
बाद ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली केसक समार
लेफ्टर नंवा से कम है।

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)